20.7.20

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पेशकार साकार सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र के तथ्यों को दोहराया वहीं दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा प्रकरण वर्णित भूमि का संपरिवर्तन करवाने हेतु प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है, इस हेतु छियानवे हजार चार सौ बहत्तर रुपये अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को जमा करवाये जा चुके हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की भूमि का संपरिवर्तन आदेश जारी नहीं कर अकारण परेशान किया जा रहा है। पेशकार साकार द्वारा जवाब के तथ्य दोहराये।

बाद बहस हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया। ग्राम गोरधनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 135 एवं 136 किता 2 रकबा 0.74 है. भूमि अप्रार्थी के नाम पर दर्ज है जिसमें नामांतरण 1159 दि० 25.11.19 से बेचान का नामा० विचाराधीन है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण वर्णित भूमि का संपरिवर्तन किये जाने हेतु प्रार्थी को आवेदन किया हुआ है, जिसके

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लिये अप्रार्थी द्वारा पु० सं० 212, रसीद संख्या 85 दिनांक 16-04-20 से 96472 की रकम जमा करवा दी है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम उल्टया प्रकरण नहीं है संपरिवर्तन की कार्यवाही प्रार्थी द्वारा संपादित होनी है, इसके लिये अप्रार्थी को उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का संपरिवर्तन शुल्क जमा करवा दी है तथा संपरिवर्तन हेतु निवेदन किया हुआ है ऐसी हालत में प्रार्थी को कोई क्षति होना प्रमाणित नहीं है। न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

प्रार्थी को या अप्रार्थी० को प्रकरण में क्या स्वत्व है? या क्या कार्यवाही अपेक्षित है? यह इश्यूज (प्रा०क०) (177) में तय होना है परन्तु धारा 212 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः गुणावगुण के आधार पर प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर प्रा० पत्र U/S 177 मि० नं. 144/2019 के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 20/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(चिमनलाल [redacted])
R.A.S.

कोटा (राज०)